न्यायालय, समाहर्त्ता–सह–जिलादण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–29 / 2017–2018

राज्य बनाम जीवनेश्वर प्रसाद वर्मा

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
13.6.2017	**आदेश** बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58 के अंतर्गत प्रश्नगत वाद, बेलदौर थाना कांड सं०–84 / 2017, दिनांक–04.05.2017 के सन्दर्भ में प्राप्त थानाध्यक्ष, बेलदौर के अधिहरण प्रस्ताव दिनांक–05.05.2017 के आलोक में प्रारंभ की गई है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक–1704 / सी. आर., दिनांक–10.05.2017 द्वारा भी थानाध्यक्ष, बेलदौर के अधिहरण प्रस्ताव पर अनुशंसा सहित कार्रवाई प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है। थानाध्यक्ष, बेलदौर के अधिहरण प्रस्ताव में उल्लेख है कि संदर्भित प्राथमिकी से सम्बद्ध वाहन BR19G-9243, बोलेरो पिकअप हैं। दिनांक–04.05.2017 को अवैध रूप से उक्त वाहन से कुल 88 कार्टून में 2196 बोतल विदेशी शराब कुल 784.8 ली० बरामद हुआ है जिसे जप्त कर थाना परिसर में रखा गया है। थानाध्यक्ष के अधिहरण प्रस्ताव में अंकित है कि उक्त बोलेरो पिकअप की जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया है। जप्ती सूची के अनुसार उक्त बोलेरो पिकअप से 180ml का बीस कार्टून, प्रत्येक कार्टून में 48 बोतल अर्थात् 960 बोतल, 357ml का 35 कार्टून प्रत्येक में 24 बोतल अर्थात् 840 बोतल तथा 750ml का 33 कार्टून प्रत्येक कार्टून में 12 बोतल अर्थात् 396 बोतल, कुल 88 कार्टून में 2196 बोतल कुल 784.8 ली० विदेशी शराब जप्त किया गया हैं। जप्ती सूची पर थानाध्यक्ष एवं अशोक सहनी का हस्ताक्षर तथा रंजन सहनी का टीप निशान अंकित है। जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा उपलब्ध Screen Report से वाहन संख्या–BR19G-9243, चेचिस नं0–MA1ZN2GHKF1G57132, बोलेरो पिकअप के स्वामी जीवनेश्वर कुमार वर्मा, पिता–देवेन्द्र प्रसाद वर्मा, ग्राम–शिवपुरी, वार्ड नं०–14, सहरसा है। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधित को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया। दैनिक जागरण एवं प्रभात खबर के दिनांक–04.06.2017 के संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन के द्वारा भी प्रश्नगत टेम्पू के स्वामी को उपस्थित होकर निर्धारित तिथि 08.06.2017 को समाहर्त्ता न्यायालय में उपस्थित	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश कार्रवाई टिप्पणी ता 3.
	होकर अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया। वाहन स्वामी समाचार–पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन के बावजूद सुनवाई के प्रक्रम में भाग लेने हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया परन्तु वे जानबूझ कर प्रक्रिया को बाधित करने की दृष्टि से सुनवाई के प्रक्रम में उपस्थित नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि वे न्यायालय की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर तथा न्यायालय की प्रक्रिया को लम्बा कर अंतिम निर्णय से बचना चाहते है। विपक्षी को सुनवाई का और अधिक अवसर दिया जाना न्यायहित में नहीं है। संदर्भित प्राथमिकी के साथ संलग्न जप्ती सूची तथा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि उक्त वाहन का उपयोग विपक्षी द्वारा ईरादतन शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो वर्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है। सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण योग्य बताया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन शराब के कारोबार में संलिप्त था, जो संदर्भित अधिनियम अंतर्गत राज्य में पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण संज्ञेय अपराध है। बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत वाहन BR19G-9243, चेचिस नं0–MA1ZN2GHKF1G57132, बोलेरो पिकअप बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्न आदेश दिया जाता है। 1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन BR19G-9243, चेचिस नं0–MA1ZN2GHKF1G57132, बोलेरो पिकअप है, जो जप्त कर बेलदौर थाना में रखा हुआ है, का बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ–ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58(5) के अंतर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाय। 2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि थाना में जप्त वाहन BR19G-9243, चेचिस नं0–MA1ZN2GHKF1G57132, बोलेरो पिकअप का मोटरयान	

क्रम तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	निरीक्षक, खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अंतर्गत समर्पित करेंगे। 3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन–राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, खगड़िया समाहर्त्ता, खगड़िया	